प्रारूप – 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है)

FORM – I
(for linear projects)

Government of Uttarakhand　　　　Office of the District Collector ......Dehradun......

No ....

Dated 15-07-19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for noo-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relavation in respect of linear projects, it is certified that 0.1395 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PAYJAL NIGAM (name of user agency) for 20 YEARS (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Khatsi village (s) in Chakrata tehsils.

It is further certified that –

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1395 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meeting of the Forest Rights committed (s), Gram Sabha (s) sub-division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .... to .... annexure ....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl – As above

Signature (रवि शंकर)
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
देहरादून

Scanned by CamScanner

FORM – II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector ....Dehradan....

No ....   Dated ....

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for noo-forest purposes, it is certified that 0.1395 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PAYJAL NIGAM (name of user agency) for 20 years (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Kharsi village (s) in Chakrata tehsils.

It is further certified that –

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1395 hectares of forest land for diversion. A copy of records of all consulations and meeting of the Forest Rights committed (s), Gram Sabha (s) sub-division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .... to .... annexure ....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under thr FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under thr FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Kharsi villages (s) is enclosed as annexure .... to annexure..........

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(f) The right of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural Communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Eucl – As above

(रविशंकर)
जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Scanned by CamScanner

प्रारूप – 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Dehradun (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss C. Ravishankar I.A.S deputy commissioner Dehradun on dated 15-07-19 at time ..... at Dehradun in which application claiming rights in ..... area measuring 139.5 hect for the construction of pipe line forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of ..... sub division were discussed to consider the same for admission by the sistrict level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place Dehradun
Dated 15-07-19

Deputy Commissioner-cum-chairman
District Level Committee

Scanned by CamScanner

प्रारूप – 30.2

परियोजना का नाम –

कार्यालय उप जिलाधिकारी ...चकराता...
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति ...चकराता...

उपखण्ड चकराता परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोरवरा खेडा पे० योजना ... (0.1395 हे0 आरक्षित वन भूमि, निल हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि निल हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.1395 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड पेयजल निगम... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ...चकराता...) की दिनांक .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमति अपूर्वा सिंह... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्रीमति अपूर्वा सिंह ... उपजिलाधिकारी ...कालसी... अध्यक्ष।
2. श्री [illegible] ... उप प्रभागीय वनाधिकारी ...कालसी... सदस्य।
3. श्री [illegible] ... सहायक समाज कल्याण अधिकारी ... सदस्य/सचिव।
4. श्रीमति [illegible] ... बी0डी0सी0 क्षेत्र ... सदस्य।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी कालसी, दे०

वन क्षेत्राधिकारी
चिबनाड़ रेंज

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया, कि ...पोरवरा खेडा पेयजल योजना... परियोजना हेतु 0.1395 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...चकराता... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्पत्ति से उपखण्ड ...चकराता... परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोरवरा खेडा पेयजल ... परियोजना के निर्माण हेतु 0.1395 हे0 वन भूमि पेयजल निगम पुरोडी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

24/6
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ...चकराता...
जनपद ...देहरादून...

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, ...देहरादून... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/6
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ...चकराता...
जनपद ...देहरादून...

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
बया चकराता (पुरोड़ी)

Scanned by CamScanner

प्रारूप – 30.3

परियोजना का नाम – पोखरा खेड़ा पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम खारसी
तहसील चकराता जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत पोखरा खेड़ा पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु (0.1395 हे0 आरक्षित वन भूमि, ... हे0 सिविल सोयम भूमि ..... हे0, वन पंचायत भूमि ..... हे0) अर्थात कुल 0.1395 हे0 वन भूमि का पेयजल ..... विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत खारसी द्वारा दिनांक 13-06-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया, कि ग्राम पोखरा खेड़ा (खारसी) .. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पेयजल निगम पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Scanned by CamScanner